UPMO010002452010

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–अंचल लवानियाँ, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP 2411

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–40/2010

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष

बनाम

सत्यपाल पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी मझोली, थाना अमरोहा देहात, हाल ऑपरेटर टेलीफून टॉवर निकट कोठीवाल डेन्टल कॉलिज, कांठ रोड, थाना सिविल लाईन, मुरादाबाद।

..... अभियुक्त

मु0अ0सं0–1038/2009,
धारा–138 विद्युत अधिनियम,
थाना–सिविल लाईन, मुरादाबाद।

<u>निर्णय</u>

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या–40/2010 में पुलिस थाना सिविल लाईन, जिला मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–1038/2009 में अभियुक्त सत्यपाल के विरूद्व आरोप पत्र अर्न्तगत धारा–135 विद्युत अधिनियम, विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस पर समक्ष न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा राकेश शर्मा अवर अभियन्ता मझोला सेक्शन द्वारा थाना सिविल लाईन, मुरादाबाद में तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 26–10–2009 को समय लगभग 5.30 बजे सायं को वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों श्री शाहबजादा लाईनमैन, श्री वेदराम पे0मैन एवं अन्य कर्मचारियों सहित राजस्व वसूली एवं विद्युत चोरी रोकने हेतु विभागीय कार्य से कांठ रोड हरथला क्षेत्र में पहुंचा, जहां पर कोठी वाल डेन्टल कॉलिज के निकट विभागीय विद्युत बकाया पर पूर्व में विच्छेदित संयोजन संख्या 1516/077504 विद्युत भार 7.5 कि0वाट मैसर्स भारती टेलीवेंचर लिमिटेड (मोबाईल कम्प्यूनिकेशन टावर) को चैक करने पर पाया कि मौके पर उक्त विच्छेदित संयोजन को परिसर के 2 मीटर लगभग स्थित एल0टी0 पोल से मौके पर उपस्थित ऑपरेटर/सुरक्षा गार्ड, जिसने अपना नाम सतपाल पुत्र लाल सिंह बताया, के द्वारा अवैध रूप से 4 कोर का काला केबिल डालकर विभागीय मीटर को वाईपास करके सीधे अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग करते पाया गया, तब उसके द्वारा मोबाईल फोन द्वारा अपने उच्च अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस को मौके पर बुलाकर उनकी मौजूदगी में सुविधानुसार मौके से लगभग 11 मीटर 4 कोर काला केबिल कब्जे में लेकर मौके पर सील मोहर किया। उक्त संयोजन के विभागीय मीटर संख्या 0307015005 क्षमता 1x4x10-60 सामे चाईना को मौके से कब्जे में लिया। मौके से उक्त

आपरेटर/सुरक्षा गार्ड कर्मचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया। चैकिंग रिपोर्ट में विस्तृत विवरण अंकित कर सील मोहर पुलिन्दे को पुलिस कार्यवाही हेतु जमा किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. उक्त आशय की तहरीर प्रदर्श क–4 के आधार पर दिनांक 26–10–2009 को प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–135 विद्युत अधिनियम में थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत हुई। जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया।

4. विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी मुकदमा अन्य गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किये गये, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त सतपाल के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 26–06–2014 को अभियुक्त सतपाल के विरूद्ध धारा 138 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और अपना विचारण चाहा।

6. उपरोक्त मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0–1 लाईनमैन रिटायर्ड साहबजादे, पी0डब्ल्यू0–2 इन्सपेक्टर विजय वर्मा सिंह, पी0डब्ल्यू0–3 सेवानिवृत नरेश चन्द्र, पी0डब्ल्यू0–4 सेवानिवृत साक्षी विजेन्द्र सिंह यादव, को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त किया गया।

7. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1, जी0डी0 कायमी मुकदमा प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, आरोप पत्र प्रदर्श क–4, तहरीर प्रदर्श क–5 व चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क–6 प्रस्तुत किये गये हैं।

8. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को झूठा होना, तथा गवाहान द्वारा गलत गवाही दिये जाने, कोई बरामदगी न होने, गलत आरोप पत्र प्रेषित करने, गवाहान द्वारा रंजिशन झूठी गवाही दिये जाने तथा मुकदमा गलत चलाये जाने का कथन किया गया है। यह भी कथन किया है कि वह निर्दोष है, प्रार्थी द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया है, कम्पनी को मुल्जिम बनाने के स्थान पर प्रार्थी को मुल्जिम बनाया गया है, प्रार्थी तो केवल चौकीदारी का कार्य करता था। जिसकी डयूटी केवल गेट पर थी।

9. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित है कि दिनांक 26–10–2009 को समय लगभग 5.30 बजे शाम स्थान कोठीवाल डेण्टल कॉलेज के पास बाहद ग्राम लदावली अन्तर्गत थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में पूर्व में विच्छेदित संयोजन संख्या–1516/077504 विद्युत भार 7.5 के0वी0 मैसर्स भारतीय टेलीवेन्चर लिमिटेड (मोबाईल कम्यूनिकेशन टावर) को एल0टी0 पोल से विभागीय मीटर से बाईपास करके सीधे अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग करते हुए पाये गये। अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप साबित हैं। अतः अभियुक्त को दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

11. उक्त के विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कतई कोई आरोप साबित नहीं होता है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा कोई विद्युत की चोरी नहीं की गयी है। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप स्थापित नहीं माना जा सकता।

12. प्रस्तुत मामले में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

13. पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में परीक्षित साक्षी लाईनमैन रिटायर्ड साहबजादे ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 26–10–2009 को वह लाईनमैन के पद पर तैनात था। उस दिन शाम लगभग 5.30 बजे वह स्वयं व उसके अधिकारी कर्मचारी राजस्व वसूली एवं विद्युत चोरी रोकने हेतु विभागीय कार्य से कांठ रोड हरथला क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर भारती टेली वेन्चर, जो कि मोबाईल का टॉवर था, जिस पर संयोजन लगा था। जिसको चैक करने पर पाया गया कि विच्छेदित संयोजन को सुरक्षा गार्ड/ऑपरेटर सत्यपाल द्वारा एल0टी0 पोल से मीटर को वाईपास करके अवैध केबिल से विद्युत का प्रयोग करते पाया गया। जे0ई0 साहब द्वारा कुछ अधिकारियों को फोन कराया और पुलिस बल मौके पर बुलाकर उनकी मौजूदगी में लगभग 11 मीटर केविल सुविधानुसार कब्जे में लेकर सील मोहर किया गया। मीटर को भी कब्जे में लिया गया। मौके पर ही वादी मुकदमा द्वारा चैकिंग रिपोर्ट बनायी गयी, जिसपर उसके व अन्य कर्मचारीगण व अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये। मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु तहरीर लिखकर थाने पर दी गयी थी और अभियुक्त सत्यपाल को भी पुलिस हिरासत में दे दिया गया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा पूछताछ की गयी व बयान लिये गये।

14. पी0डब्ल्यू0–2 के रूप में परीक्षित साक्षी इन्सपेक्टर विजय वर्मा सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 26–10–2009 को वह थाना सिविल लाईन की रिपो. र्टिंग चौकी अगवानपुर बतौर हेड मोर्हिरर कार्यरत था। उस दिन वादी राकेश शर्मा अवर अभियन्ता मझोला में चौकी मय हमराही लाईनमैन साहबजादे कां0 नरेश चन्द्र, कां0 राजकुमार के चौकी पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर चौकी पर दाखिल की थी। अभियुक्त सतपाल पुत्र लाल सिंह नि0 मझोली थाना अमरोहा देहात को भी पुलिस की मदद से गिरफतार कर चौकी पर लाये थे। इसके अलावा एक पुलिन्दा सील मोहर में करीब 11 मीटर तार मय नमूना मोहर व दैनिक चैकिंग रिपोर्ट व तीन प्रति विद्युत विच्छेदन स्लिप लाकर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर उसके द्वारा चिक सं0 41/2009, मु0अ0सं0– 1038/2009, धारा–135 विद्युत अधिनियम, बनाम सतपाल उपरोक्त समय 19.00 बजे पंजीकृत किया था। अभियुक्त सतपाल को बाद तलाशी अन्दर हवालात में नहीं किया था, बल्कि चौकी कार्यालय पर बैठाया गया था। वादी को एफ0आई0आर0 की प्रति दी गयी थी तथा सील सर्वे मोहर पु. लिन्दा को वादी मुकदमा अपने साथ लेकर गये थे तथा बताया था कि इसे अपने कार्यालय में दाखिल किया जायेगा। विवेचना हेतु नकल चिक नकल रपट व अन्य दीगर कागजात वास्ते विवेचना चौकी प्रभारी उप निरीक्षक श्री विजेन्द्र सिंह यादव को सुपुर्द किये थे। नकल चिक व नकल रपट कायमी उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क–1

तथा जी0डी0 पर प्रदर्श क–2 डाला गया। उक्त घटना स्थल कोठीवाल डेंटल कालिज के पास बहद ग्राम लदावली का था। विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

15. पी0डब्ल्यू0–3 के रूप में परीक्षित साक्षी सेवनिवृत्त नरेश चन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 26–10–2009 को उसकी व राजकुमार की डयूटी रोड सुरक्षा में लगी हुई थीं। शाम 5.30 बजे उनको सूचना मिली की अविलम्ब कोठीवाल डेन्टल के पास लगे टॉवर पर पहुंचे। वह व गाडी चालक राजकुमार गाडी से टॉवर पर पहुंचे तो देखा कि अवर अभियन्ता राकेश शर्मा अपने विद्युत टीम के साथ टेलीफोन टावर में लगी बिजली चैक कर रहे थे। मौके पर टेलीफोन टॉवर सुरक्षा गार्ड सतपाल ने बिजली पोल एल0टी0 लाईन खम्भे पर चार कोर का काला केबिल डाल रखा था तथा विभागीय विद्युत मीटर से वाईपास करके सीधे अवैध रूप से बिजली चला रहा था। जे0ई0 साहब के बताये अनुसार मौके पर मौजूद सतपाल को उन लोगों ने हिरासत में ले लिया था तथा विद्युत कर्मचारीगण द्वारा केबिल कब्जे में लिया गया था, मौके पर ही चैकिंग रिपोर्ट बनाकर तहरीर हेतु लिखा पढ़ी की गयी थी। इस सम्बन्ध में विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

16. पी0डब्ल्यू0–4 के रूप में परीक्षित सेवानिवृत्त निरीक्षक साक्षी विजेन्द्र सिंह यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 26–10–2009 को वह थाना सिविल लाईन की चौकी अगवानपुर पर बतौर उपनिरीक्षक प्रभारी तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा राकेश कुमार शर्मा अवर अभियन्ता मझोला सैक्शन की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–63/2009, धारा–135 विद्युत अधिनियम पंजीकृत हुआ था, जिसका थाना सिविल लाईन्स पर अ0सं0–1038/2009 के रूप में इन्द्राज किया था, जिसकी विवेचना उसे प्राप्त हुई। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 26–10–2009 को सी0डी0–1 किता की गयी, जिसमें नकल चिक नकल रपट बयान एफ0आई0आर0 लेखक बयान अभियुक्त सत्यपाल अवलोकन चैकिंग रिपोर्ट अंकित किया गया। सी0डी0–2 दिनांक 27–10–2009 को किता की गयी, जिसमें अभियुक्त सत्यपाल न्यायालय से जमानत पर रिहा। रोबकार की नकल सी0डी0 में की गयी। सी0डी0–3 दिनांक 01–11–2009 किता की गयी, जिसमें मुकदमा वादी गवाह शाहबजादा, वे. दराम अंकित कर उनकी निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाकर तैयार किया गया, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जो पत्रावली पर कागज सं0–5क/1 के रूप में संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया तथा दो गवाही समाई साक्ष्य अंकित किये गये। पर्चा नं0–4 दिनांक 06–11–2009 किता किया गया, जिसमें एफ0आई0आर0 से सम्बन्धित गवाह कां0 राजकुमार व नरेश के बयान अंकित कर सम्पूर्ण साक्ष्य व बयान के आधार पर अभियुक्त सत्यपाल के विरूद्ध जुर्म साबित पाते हुए आरोप पत्र संख्या–570/2009 दिनांक 06–11–2009 को न्यायालय प्रेषित किया गया, जो पत्रावली पर कागज संख्या 3क/1 के रूप में संलग्न है। इसपर प्रदर्श क–4 डाला गया। मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु वादी मुकदमा राकेश शर्मा द्वारा दी गयी तहरीर व चैकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है, जो उसके सामने उनके द्वारा दी गयी थी और उसकी जानकारी अनुसार वह उनके लेख व हस्ताक्षर में है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श–5 व 6 डाला गया। वादी मुकदमा द्वारा दौरान विवेचना उक्त संयोजन की विच्छेदन स्लिप की फोटो प्रति व रजिस्टर की फोटो प्रति दी गयी थी।

17. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की विस्तार से बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया।

18. उपरोक्त के सन्दर्भ में सर्व प्रथम अभियोजन द्वारा पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा राकेश शर्मा, अवर अभियन्ता, द्वारा पंजीकृत करायी गयी है, जिसके अनुसार दिनांक 26–10–2009 को समय लगभग 5.30 बजे सायं को वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों श्री शाहबजादा लाईनमैन, श्री वेदराम पे0मैन एवं अन्य कर्मचारियों सहित राजस्व वसूली एवं विद्युत चोरी रोकने हेतु विभागीय कार्य से कांठ रोड हरथला क्षेत्र में पहुंचा, जहां पर कोठी वाल डेन्टल कॉलिज के निकट विभागीय विद्युत बकाया पर पूर्व में विच्छेदित संयोजन संख्या 1516/077504 विद्युत भार 7.5 कि0वाट मैसर्स भारती टेलीवेंचर लिमिटेड (मोबाईल कम्प्यूनिकेशन टावर) को चैक करने पर पाया कि मौके पर उक्त विच्छेदित संयोजन को परिसर के 2 मीटर लगभग स्थित एल0टी0 पोल से मौके पर उपस्थित ऑपरेटर/सुरक्षा गार्ड, जिसने अपना नाम सतपाल पुत्र लाल सिंह बताया, के द्वारा अवैध रूप से 4 कोर का काला केबिल डालकर विभागीय मीटर को वाईपास करके सीधे अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग करते पाया गया, तब उसके द्वारा मोबाईल फोन द्वारा अपने उच्च अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस को मौके पर बुलाकर उनकी मौजूदगी में सुविधानुसार मौके से लगभग 11 मीटर 4 कोर काला केबिल कब्जे में लेकर मौके पर सील मोहर किया। उक्त संयोजन के विभागीय मीटर संख्या 0307015005 क्षमता 1x4x10-60 सामे चाईना को मौके से कब्जे में लिया। मौके से उक्त आपरेटर/सुरक्षा गार्ड कर्मचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया। चैकिंग रिपोर्ट में विस्तृत विवरण अंकित कर सील मोहर पुलिन्दे को पुलिस कार्यवाही हेतु जमा किया जा रहा है।

19. इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से चैकिंग के समय मौके पर उपस्थित साहबजादे को पी0 डब्ल्यू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि मुकदमा लिखने के उपरान्त वह मझोला बिजली घर पर लाइनमैन के पद पर तैनात था। इस मुकदमे का अभियुक्त सत्यपाल मोबाइल का टॉवर डेण्ट कालेज के पीछे नौकरी करता था। वहॉ पर बिजली का कनैक्शन था। उक्त टॉवर का कनैक्शन काफी समय पहले काट दिया था। इसके उपरान्त वह टॉवर पर लाइट के सम्बन्ध में देखने गये थे। उनके साथ पब्लिक का कोई आदमी नहीं था। अलग से केबिल पड़ा होने पर उसका कोई मोबाइल कैमरा से कोई वीडियो नहीं बनायी थी। उस दिन इस टॉवर से पहले या बाद में कहीं चैकिंग की या नहीं, उसे इसी जानकारी नहीं। उसे पता चला है कि बिजली विभाग का मुकदमा चल रहा है, जिसमें वह गवाह है। इसकी जानकारी हुयी है। लाइनमैन उसके अलावा और कोई बिजली विभाग की टीम के साथ नहीं था। चैकिंग के बाद बिजली घर पर सूचना की एंट्री करते हैं, न वह साथ लाया है और न उसे इसकी जानकारी है। जे0 ई0 साहब ने उसका नाम गवाही के रूप में लिखा दिया हो, उसे इसकी जानकारी नहीं है। गवाही का समन उसके पास पहुंचा, इसलिये वह गवाही के लिये आया है, जो केबिल अलग से पड़ा था, वह केबिल उसके सामने नहीं है। जो केबिल पकड़ा गया था, कितने मीटर का था, जे0 ई0 साहब ने अपनी तहरीर में नहीं लिखी है कि 15 मीटर का केबिल पकड़ा गया था। जहॉ पर चैकिंग की गयी थी, वहॉ पर आस पास में घटना के समय मकान थे, दुकान नहीं थी। जंगल जैसा इलाका था। उसे याद नहीं है कि जे0 ई0 साहब ने आस पास के मकान वालों के नाम गवाही में लिखे थे या नहीं। घटना स्थल के चारों दिशाओं में क्या– क्या था, उसे याद

नहीं है। बिजली चोरी का मुकदमा किस धारा में लिखा गया था, वह धारा नहीं बता सकता। उक्त चोरी से सम्बन्धित असिसमेंट क्या बनाया गया, उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर अभियुक्त सत्यपाल नौकरी करता था। उसका घर व मकान था या नहीं, उसे नहीं पता। सारी कार्यवाही में बिजली विभाग को आधा घंटा लगा था। यह कहना गलत है कि सारी कार्यवाही झूठी विद्युत घर पर अभियुक्त को झूठा फंसाने के लिये की यगी हो। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना न घटी हो, जैसा वह बयान दे रहा है।

20. इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0–1 साहबजादा के साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांकित 26–10–2009 समय 5.30 बजे सांय के बावत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26–10–2009 को समय 19.00 बजे पंजीकृत करायी गयी, जबकि थाने से घटना स्थल की दूरी मात्र 4 किलोमीटर होना अंकित की गयी है। इस साक्षी को चैकिंग के समय घटना स्थल पर मौजूद होना बताया गया है, किन्तु साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि जे0 ई0 साहब ने उसका नाम गवाही के रूप में लिखा दिया हो, उसे इसकी जानकारी नहीं है। गवाही का समन उसके पास पहुंचा, इसलिये वह गवाही के लिये आया है, जो केबिल अलग से पड़ा था, वह केबिल उसके सामने नहीं है। जो केबिल पकड़ा गया था, कितने मीटर का था, जे0 ई0 साहब ने अपनी तहरीर में नहीं लिखी है कि 15 मीटर का केबिल पकड़ा गया था। जहॉ पर चैकिंग की गयी थी, वहॉ पर आस पास में घटना के समय मकान थे, दुकान नहीं थी। जंगल जैसा इलाका था। उसे याद नहीं है कि जे0 ई0 साहब ने आस पास के मकान वालों के नाम गवाही में लिखे थे या नहीं। घटना स्थल के चारों दिशाओं में क्या– क्या था, उसे याद नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं होता है।

21. प्रस्तुत मामले में जहां तक अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में पी0डब्ल्यू0–1 साहबजादा, सेवानिवृत्त लाइनमैन के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा किस प्रकार घटना कारित की गयी, क्योंकि उपरोक्त साक्षी द्वारा घटना कारित करते समय अभियुक्त को नहीं देखा गया। अभियुक्त सत्यपाल सिंह को केवल मैसर्स भारतीय टैलीवेंचर लिमिटेड (मोबाइल कम्यूनिकेशन टॉवर) पर नौकरी करना बताया गया है, जबकि उपरोक्त टॉवर के मैंनेजर व कम्पनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई विवेचना की गयी।

22. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से नक्शा नजरी दाखिल किया गया हैं, जो पत्रावली पर प्रदर्श क–3 है, जिसमें चिन्ह 'ए बी सी डी' से टेलीफोन टॉवर के स्थान को दर्शित किया गया है, जहॉ पर विद्युत विच्छेदन के उपरान्त अवैध रूप से बिजली चलाते हुये पाया गया, जो जंगल ग्राम भटावली में स्थित है। उपरोक्त नक्शा नजरी में X स्थान से टेलीफोन टॉवर में बने रूम में वह स्थान दर्शाया गया, जहॉ से विद्युत विभाग की टीम द्वारा विभागीय मीटर को कब्जे में लिया गया तथा E स्थान से अभियुक्त सत्यपाल को पकड़ा जाना दर्शाया गया है।

23. नक्शा नजरी के सन्दर्भ में पी0 डब्ल्यू0–4 सेवा निवृत्त निरीक्षक विजेन्द्र सिंह यादव के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा।

24. पी0 डब्ल्यू0–4 सेवा निवृत्त निरीक्षक विजेन्द्र सिंह यादव द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि इस मुकदमे के पंजीकृत होने के दो माह पूर्व चौकी पर तैनात था।

उसने धारा 135 विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित अन्य मुकदमे की विवेचना अगवानपुर चौकी पर की थी या नहीं, इस समय ध्यान नहीं है। वह घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिये जी0डी0 में इन्द्राज करके गया था। जी0डी0 रवानगी का समय ध्यान नहीं है। वह घटना स्थल का निरीक्षण करने सरकारी वाहन से गया था, लेकिन जी0डी0 रवानगी इस समय उसके पास नहीं है, न ही पत्रावली पर है। घटना स्थल के आस– पास किस– किस के मकान थे, उसे याद नहीं है। उक्त मुकदमे के आरोप पत्र में घटना स्थल के आस पास का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया था। घटना स्थल पर जो अभियुक्त का होना बताया था, उसका कोई मकान नहीं था, किरायेदार भी नहीं था। उसने गवाह वादी व अन्य के बयान एक ही दिनांक 01–11–2009 को अंकित किये थे। उसी दिन, जिस दिन अभियोग पंजीकृत हुआ था। बयान अभियुक्त अंकित किया था। उसने घटना स्थल के आस पास के लोगों से बातचीत की थी। नाम इस समय याद नहीं है। घटना स्थल के चारों दिशाओं में किस– किस के मकान थे, इस समय नाम याद नहीं है। घटना स्थल पर जो टॉवर लगाया बताया जाता है, उस टॉवर के किसी भी कर्मचारी का बयान उसने नहीं लिया था, न ही घटना से अगवत कराया था। घटना स्थल पर घटना से सम्बन्धित घटना कारित करते हुये न उसने किसी का फोटोग्राफी मांगा और न किसी का फोटो उपलब्ध कराया। उसने आरोप पत्र में अंकित गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय में प्रेषित किया। माल न्यायालय में उसके सामने नहीं है। विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन के बाद विद्युत विभाग के कितने वाट की चोरी हुयी, उसे नहीं पता। न ही उसने इससे सम्बन्धित विद्युत विभाग का किसी कर्मचारी का बयान लिया और न आरोप पत्र का गवाह बनाया। विवेचना के उपरान्त वह किस समय चौकी आया, समय का ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त सत्यपाल ने कोई ऐसी घटना कारित न की हो, जैसा कि उसने आरोप पत्र में प्रेषित किया है।

25. इस प्रकार पी0डब्ल्यू0– 4 निरीक्षक विजेन्द्र सिंह यादव के साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना स्थल के आस पास के लोगों से बातचीत की थी, किन्तु उनके नाम उसे याद न होना, घटना स्थल के चारों दिशाओं में किस– किस के मकान थे, यह तथ्य याद न होना। घटना स्थल पर जो टॉवर लगाया बताया जाता है, उस टॉवर के किसी भी कर्मचारी का बयान न लिया जाना, न ही घटना से अगवत कराया जाना। घटना कारित करते हुये किसी से फोटोग्राफी न प्राप्त करना और न किसी का फोटो उपलब्ध कराया जाना। माल न्यायालय में उसके सामने पेश न किया जाना आदि उपरोक्त ऐसे तथ्य हैं, जो अभियोजन के सम्पूर्ण कथानक को सन्देहास्पद बना देते हैं।

26. अभियोजन की ओर से चिक लेखक निरीक्षक विजय वर्मा सिंह को पी0 डब्ल्यू0–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है और इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो। इस साक्षी द्वारा मात्र चिक एफ0 आई0 आर0 को प्रदर्श क–1 तथा जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है।

27. अभियोजन की ओर से पी0डब्ल्यू0–3 के रूप में सेवा निवृत्त कां0 नरेश चन्द्र को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि विद्युत चैकिंग से सम्बन्धित कार्यवाही/ लिखत पढ़त जे0 ई0 साहब व उनकी टीम द्वारा की गयी थी। उसे घटना स्थल के दिशाओं में किस किस का मकान था, याद नहीं है। उसका

बयान बाद में लिया था, लेकिन कब लिया था, दिन– तारीख याद नहीं है। सतपाल को वह पहले से नहीं जानता था। सतपाल वहॉ पर नौकरी करता था। टॉवर किसके अण्डर में था, उसे याद नहीं है। टॉवर किस कम्पनी का था, उसे याद नहीं है। यह बात सही है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा सतपाल को चौकी ले जाने के लिये कहा गया था। उसके द्वारा कोई फोटोग्राफी नहीं की गयी थी। उसे याद नहीं है कि सतपाल के साथ मौके पर उसके साथी कर्मचारी थे या नहीं।

28. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा है कि–

1. कथित एल0टी0 पोल से विभागीय मीटर से मैसर्स भारतीय टैलीवेंच लिमिटेड (मोबाइल कम्यूनिकेशन टॉवर) बाईपास करके सीधे अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुये अभियुक्त सत्यपाल सिंह के सन्दर्भ में अभियोजन द्वारा किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसे किसी भी चक्षुदर्शी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिन्होंने अभियुक्त को उपरोक्त घटना को कारित करते हुये देखा हो। इस प्रकार अभियुक्त को उक्त घटना कारित करते हुये किसी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा न देखा जाना, अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सन्देहास्पद बना देता है, जिसका लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

2. चैकिंग रिपोर्ट 1901 कागज संख्या– 5क/2 में 1,52,740/रूपये का बकाया होना अंकित किया गया है, जिसके सन्दर्भ में विभाग द्वारा पत्रांक 1341/वि0वि0खंमु0 (ग्रामीण) दिनांक 06–02–2026, कागज संख्या 55बी में यह अंकित किया गया है कि भारतीय टेलीवेंचर लिमिटेड (मोबाइल कम्यूनिकेशन टॉवर) निकट कोठीवाल डेंटल कालेज, कॉठ रोड मुरादाबाद पर भरी गयी थी, जिसके सापेक्ष उपभोक्ता द्वारा राजस्व निर्धारण धनराशि 3556.00/रूपये दिनांक 23–12–2009 को रसीद संख्या 15/163198 के माध्यम से जमा कर दी गयी है, परन्तु उपभोक्ता द्वारा शमन धनराशि रूपये 80,000/ तद्दिनांक तक भी जमा नहीं किये गये हैं। अभियुक्त सत्यपाल सिंह को उक्त कम्पनी में सुरक्षा गार्ड था और उक्त सुरक्षा गार्ड द्वारा इतनी धनराशि के विद्युत का अपने निजी उपभोग में किस प्रकार इस्तेमाल किया गया, इस तथ्य को अभियोजन की ओर से साबित नहीं किया गया है।

3. अभियुक्त सत्यपाल सिंह द्वारा 4 कोर काले केबिल को विद्युत विभाग की टीम द्वारा कब्जे में लिया जाना, किन्तु उसके कटएण्डस को समक्ष न्यायालय प्रस्तुत न किया जाना।

4. नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 में दर्शित किये गये मकान को गवाह न बनाया जाना और न ही उनको परीक्षित कराया जाना।

5. घटना दिनांक 26–10–2009 सांय 5.30 बजे की घटना के बावत दिनांक 26–10–2009 को अभियुक्त के विरूद्ध विलम्ब से अभियोग पंजीकृत कराया जाना, जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 4 किलोमीटर होना बतायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण न दिया जाना आदि ऐसे तथ्य हैं, जो अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सन्देहास्पद बना देते हैं, जिसका लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

29. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध

अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्ल्यू0–1 साहबजादा, पी0डब्ल्यू0–3 नरेश चन्द्र एवं पी0 डब्ल्यू0–4 निरीक्षक विजेन्द्र सिंह यादव द्वारा अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं, जिनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। ऐसे में अभियोजन कथानक अनुसार घटना कारित किया जाना साबित नहीं माना जा सकता है। अतः अभियुक्त सत्यपाल सिंह को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

30. इस प्रकार अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सत्यपाल सिंह के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त सत्यपाल सिंह दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 40/2010 में अभियुक्त सत्यपाल सिंह को आरोप अन्तर्गत धारा– 138 विद्युत अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त सत्यपाल सिंह जमानत पर हैं, उसके जमानतनामें निरस्त कर प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रतिभूति अग्रिम छः माह तक प्रवृत्त रहेगें।

<u>दिनांक 13–03–2026</u>

(अंचल लवानियाँ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

<u>दिनांक 13–03–2026</u>

(अंचल लवानियाँ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

Digitally signed by Anchal
Date: 2026.03.17 16:46:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court